पर पुलों और बांधों का निर्माण करायें तभी प्रतापगढ़ जिले का विकास हो सकता है ।

((ii) REPORTED FIRING ON THE WORKERS OF BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD., HARDWAR.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Mr. Speaker, Sir, under Rule 377 I want to mention about a very serious matter on the Floor of the House and would request the hon'ble Minister to make a statement thereon.

Sir, a serious situation has arisen out of the indiscriminate firing by CISF on the workers of Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar on 23-3-1978. The CISF without any provocation attacked with firearms on the unarmed peaceful workers and killed and injured many of them including Secretaries of the CITU and AITUC unions. Within the very short period, more than 20 workers fell down with bullet injuries and hundreds were limping into blocks with major with major injuries. The fire brigade and ambulance started rushing dozens of injured and wounded to the hospital. The top management was nowhere in the scene and they were busy in holding a meeting to discuss the situation. Nearly after three hours the Executive Director, Mr. Wahi announced over intercom the withdrawal of CISF personnel and handing over the factory to the local police. Following the incident a large number of workers are being rounded up by police on various false charges. This has further worsened the situation.

Sir, I demand withdrawal and abolition of CISF and order for judicial enquiry so that culprits may be punished.

Sir, the CISF is under Home Ministry and BHEL, Hardwar is a public undertaking. Through you, Sir, I would request the concerned Ministers to make a statement on the Floor of the House as early as possible.

(iii) BOUNDRY DISPUTE BETWEEN KARNATKA AND MAHARASHTRA.

श्री केशव राव कोंडगे (नांदेड़) : दस लाख मराठी लोगों का मसला मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं । कर्नाटक और महाराष्ट्र के अन्दर बेलगाम कारवार, नापानी, बालकी, सन्तपुर, औरड़, हुमनाबाप आदि दस लाख मराठी लोग हैं । वहां पर कर्नाटक में इन पर बहुत जुल्म हो रहा है । उन लोगों ने हर तरह से, चुनाव में तथा दूसरे तरीकों से अपने खयालात का इजहार किया है । इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी मदद करने के लिए, उनको इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है । हमने बर्मा देश के साथ अपने बाउंडरी डिसप्यूट को हल कर लिया है, बंगला देश के साथ हल कर लिय है । लेकिन अपने ही देश में दो राज्यों के बीच जो सीमा विवाद है उस सीमा विवाद को लोकशाही के तरीकों के अनुसार हल करने के लिए हम तैयार नहीं हैं । मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार अभी तक उन से कितनी और कुर्बानियां मांगती हैं, कौन सी स्ट्रगल वह चाहती हैं कि वे करें, कितने और उन लोगों में शहीद हों ताकि उसकी आंख खुल सके और वह इस सवाल को हल कर सके ? प्रधान मंत्री से मैं गुजारिश करूंगा कि वह इसको देखें । उनको बैलगांव के और कितने लोग शहीद चाहिये ? कब वह उनको इंसाफ दे सकेंगे ? मैं मानता हूं कि पहले कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा गांधी का राज्य था । वह सरकार लोगों को इंसाफ नहीं देती थी । लेकिन हमने चुनाव के अन्दर लोगों से वादे किए हैं कि हम उनको इंसाफ देंगे । मैं प्रधान मंत्री से गुजारिश करता हूं कि इस मसले पर वह खामोश न बैठें रहें । लोगों के जजबात को देखें, उनको इंसाफ दें । कई कमीशन बैठे हैं, कई चीफ मिनिस्टर तबदील हुए हैं, कई हकूमतें तबदील हुई हैं, कई प्रधान मंत्री बने हैं, इनक्लाब हुआ है लेकिन इस मसले को हल नहीं किया गया है । इतना ही नहीं कर्नाटक एकीकरण समिति के छः मपांच नुमाइंदे चुन कर आए हैं । उनका कहना है कि जम्हूरियत की इन बीस बाईस सालों की लड़ाई ने यह साबित कर दिया है कि हमारी मांग बिल्कुल जायज है । रेलवे मिनिस्टर साहब प्रो० दंडवते ने फरमाया था कि जनता पार्टी का राज्य हो जाएगा तो

यह मसला हल कर दिया जाएगा । यह हमारे देश का अन्दरूनी मामला है। केन्द्रीय सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है । हम जम्हूरियत की बात दुनिया के सामने करते हैं । अपनी आवाज दुनिया के अन्दर उठाते हैं । वहां हम इंसाफ मांगते हैं लेकिन यहां हम अपने दस लाख लोगों को कब तक गुलाम बनाए रखेंगे, लोकशाही के हकूक कब तक हम उनके छीने रखेंगे ? अगर हम इंसाफ उनको नहीं दे सकते हैं तो हमें देश पर राज्य करने का कोई हक नहीं है । यह एक कलंक है हमारे माथे पर । इस सार्वभौम सभा गृह में भारत के दस लाख लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं लेकिन आप उनको इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं हैं । इन लोगों ने अपने जायज हकूक के लिए स्ट्रगल की है, शहीद हुए हैं, चुनाव में जीत हासिल की है । मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके ऊपर से आप एमरजेंसी कब हटाएंगे, उनके ऊपर से आप डिटेंशन कब खत्म करेंगे। उनका कर्नाटकीकरण हो रहा है । वे शहीद हो रहे हैं। महाराष्ट्र लैजिस्लेटिव काउंसिल ने रेजोल्यूशन भी पास किया है 22 तारीख को और आपसे अपील की है । केन्द्र को इसक बारे में इंसाफ देना चाहिए । इंसाफ देने की बात तो दूर रही, प्रधान मंत्री हमारी बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं हैं । शायद वह यह समझते हैं कि यह मसला बिल्कुल छोटा है । यह बिल्कुल गलत बात है । आपने मुझे इस सवाल को उठाने की इजाजत दी है लेकिन इसके बावजूद प्रधान मंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । यह बड़े ही अफसोस की बात है । ऐसा ही अगर उनका रवैया रहा तो लोग इनकलाब करेंगे । आपके खिलाफ बगावत करेंगे । बगावत करना कोई गुनाह नहीं है । वे आप से इंसाफ मांगते हैं । दस लाख मराठी लोगों का यह सवाल है । बंगला देश के लिए, अफ्रीकी देशों के लिए आप इंसाफ की आवाज उठाते हैं और मुझे इसकी खुशी है । लेकिन यहां भी आप इन लोगों को इंसाफ दें । अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो सदन में एक बार उठ कर आप यह कह दें कि इन दस लाख लोगों को जब तक आप प्रधान मंत्री हैं इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं इस सवाल को उठाना बन्द कर दूंगा । आपकी जो भी राय हो आप बताएं । उनको आप इंसाफ दें ।

(iv) MINORITIES COMMISSION

SHRI G.M. BANATWALLA (Ponnani) : Mr. Speaker, Sir, the Government of India has been pleased to appoint a 3-Member Minorities Commission with Mr. M.R. Masani, as its Chairman. The primary objective, as mentioned by the Government of India, in its notification, is to provide "effective institutional arrangements" for "effective enforcement of all the safeguards provided for the" religious and linguistic minorities in the Constitution, in the Central and State laws, in Government policies and administrative schemes enunciated from time to time." The step taken by the government is laudable, but it is rather unfortunate that while the primary objective is to provide an effective institutional arrangement, the Minorities Commission as set up by the government is clearly most ineffective. Its recommendations will not be binding upon the government. The Commission has not even mandatory powers to require the central or the state governments to provide such information as it may require. The notification merely expresses a pious wish in the words that 'the Government of India trusts that the state governments and the Territory administration and others concerned will extend their fullest cooperation and assistance to the commission'. Such a state of affairs is most unsatisfactory especially in the context of the situation prevailing at present. The Commission has been deprived of its teeth and effectiveness in a very important and sensitive area.

13.00 hrs.

The Minorities Commission will deal with both the religious and linguistic minorities. It is needless to bring linguistic problems within the scope of the Minorities Commission in view of article 350(B) of the Constitution which already appoints a special officer for linguistic minorities. The need of the hour is to see that the recommendations of the special officer are made obligatory and to see that there is no blending of the problems of the religious and linguistic minorities, one overshadowing the other.

Further it would have been in the fitness of things if a suitable person from among